

4.5.18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके
 द्वारे 2018 के केम्प पंचारिथा में प्रेषित हुई।
 उभय पक्षकारान उपरोक्त चूँकि मूलवाद जरीये
 शर्तीनामा विद्वे किया जा चुका है। अब
 इस आवेदन में अन्तिम कार्यवाही का औचित्य
 नहीं रहा। अतः इस आवेदन में आगामी
 कार्यवाही जरीये शर्तीनामा इती स्तर पर
 समाप्त कर न्यायालय द्वारा जारी लखन
 जिला डि. 13.6.17 को निरस्त किया
 जाता है। पत्रावली फिलहाल शुभार होकर
 दाखिल दफ्तर है। संख्या से कहते हैं।

सहायक कलेक्टर
 घोड़न